an>

Title: Issue regarding danger of extinction of many regional languages of the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषयष जो देश की संस्कृति और भाषा से जुड़ा हुआ है, पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यूनेस्को की रिपोर्ट है कि देश के 14 राज्यों की 42 भाषाएं विलुप्त के कगार पर हैं। इस संबंध में भारत सरकार खुद चिंतित है। उसने इसके संवर्धन करने के लिए भारतीय भाषा संस्थान मैसूर का भी गठन किया है। लेकिन अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। इन 14 राज्यों की भाषाओं पर संकट है, तो यह रिपोर्ट हमारी न होकर यूनेस्को की है। इसमें अंडमान-निकोबार की 11 भाषाएं संकट में हैं। मणिपुर राज्य की 7 भाषाएं संकट में हैं और पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा भाषाएं संकट में हैं। उत्तराखंड की बंगानी, हिमाचल प्रदेश की बगाती, हुदुरी, पंगवली तथा सिरमौडी भाषा हैं। इसी तरह से झारखंड की बिरहोर, पश्चिम बंगाल में टोटो, अंडमान-निकोबार की लमोंग्से, तकहनिलंग, ओंगे, सनेन्यो, सेंटली तथा तंगम आदि भाषाएं हैं। मणिपुर की एमोल, अका, पुरम तथा तरोय आदि भाषाएं हैं। किसी देश की भाषा जो वहां की स्थानीय संस्कृति, परम्परा और लिपि को प्रतिबंबित करती है, वे अगर आज विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति की पहचान पर कहीं न कहीं प्रश्न चिह्न लगेगा। इस देश में केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक कितनी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत के उन 14 राज्यों में जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, उन्हें आप सबसे पहले आईडेंटिफाई और सर्वेक्षण करने का काम करें। उसके बाद भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में उन भाषाओं के रख-रखाव, दस्तावेज और संवर्धन के लिए कार्य करें।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। संविधान की आठवीं अनुसूची में हम मांग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में डालना चाहिए। पिछले दिनों हमने भोजपुरी भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। राजस्थान की भी भाषा थी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आपने अपनी डिमांड रख दी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि इन भाषाओं का सर्वेक्षण करके संवर्धन और रख-रखाव किया जाये।

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री शरद त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।